-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बबेरू पुलिस द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बबेरू पुलिस ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक से अधिक भारतीय पासपोर्ट बनवाकर शासन एवं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को गुमराह करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बांदापुलिस को एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदक **जिब्राइल पुत्र कल्लू खान निवासी ग्राम बगेहटा थाना बबेरू जनपद बांदा** द्वारा एक से अधिक पासपोर्ट जारी कराए जाने के संबंध में जांच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। थाना बबेरू पुलिस द्वारा की गई जांच के क्रम में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा कूटरचित एवं भ्रामक दस्तावेजों का प्रयोग कर दो अलग-अलग भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किए गए तथा पूर्व में जारी पासपोर्ट की जानकारी छिपाकर पुनः फ्रेश श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत किया गया। यह कृत्य शासन, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय एवं संबंधित विभागों को गुमराह कर धोखाधड़ी करने की श्रेणी में पाया गया, जिसके संबंध में थाना बबेरू पर अभियोग पंजीकृत कर करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे इसी क्रम में थाना बबेरू पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर बगेहटा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जिब्राइल पुत्र कल्लू खान निवासी ग्राम बगेहटा थाना बबेरू जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 266/26 धारा 419/420/467/468/471) बीएनएस व 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम थाना बबेरू जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रमेश कुमार
2. कां0 विमल सिंह
3. कां0 आदित्य अवस्थी